छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–16 / 2021 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 20/~~04~~ 5/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा कांकेर जिले के पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.323 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।

2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–837 (ए)/826, रायपुर दिनांक 18.03.2021 ।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

<u>तालिका</u>

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	कापसी	बुधनदण्ड	आरक्षित वन	1106	359.316	0.5	0.018
2			कापसी	हांकेर	आरक्षित वन	1130	1083.325	0.5	0.054
3			पश्चिम परालकोट	कंदाडी	आरक्षित वन	1153	450.058	0.5	0.023
4			पश्चिम परालकोट	कुरेनार	आरक्षित वन	1165	1483.689	0.5	0.074
5			पश्चिम परालकोट	छोटे बेठिया	आरक्षित वन	1156	4203.37	0.5	0.211
			आरक्षित वनभूमि का योग–				**7579.758**	**0.5**	**0.3800**
6	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	कापसी	बुधनदण्ड	संरक्षित वन	P1169	1283.384	0.5	0.064
7			कापसी	बुधनदण्ड	संरक्षित वन	P1177	1057.087	0.5	0.053
8			कापसी	कारेकट्टा	संरक्षित वन	P1186	631.529	0.5	0.032

क्रमशः 2

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
9	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	कापसी	कारेकट्टा	संरक्षित वन	P1189	2135.046	0.5	0.107
10			कापसी	कारेकट्टा	संरक्षित वन	P1191	701.071	0.5	0.035
11			कापसी	भिंगीडार	संरक्षित वन	P1182	618.727	0.5	0.031
12			कापसी	हांकेर	संरक्षित वन	P1202	1136.635	0.5	0.057
13			कापसी	श्री पुर	संरक्षित वन	P1185	1571.675	0.5	0.078
14			कापसी	वनश्रीनगर	संरक्षित वन	P1183	922.792	0.5	0.046
15			कोयलीबेडा	मनेगांव	संरक्षित वन	P1283	4746.015	0.5	0.238
16			कोयलीबेडा	सम्बलपुर	संरक्षित वन	P1364	3029.609	0.5	0.151
17			पश्चिम परालकोट	बांदे	संरक्षित वन	P1261	1352.932	0.5	0.068
18			पश्चिम परालकोट	बांदे	संरक्षित वन	P1271	2241.187	0.5	0.112
19			पश्चिम परालकोट	बड़े बेठिया	संरक्षित वन	P1255	1388.293	0.5	0.069
20			पश्चिम परालकोट	बल्लीगढ़	संरक्षित वन	P1259	2300.546	0.5	0.115
21			पश्चिम परालकोट	कंदाडी	संरक्षित वन	P1248	2093.862	0.5	0.104
22			पश्चिम परालकोट	कुरेनार	संरक्षित वन	P1263	2548.095	0.5	0.127
23			पश्चिम परालकोट	कुरेनार	संरक्षित वन	P1264	4358.003	0.5	0.218
24			पश्चिम परालकोट	कन्हारगांव	संरक्षित वन	P1279	1174.915	0.5	0.059
25			पश्चिम परालकोट	कन्हारगांव	संरक्षित वन	P1280	1005.889	0.5	0.05
26			पश्चिम परालकोट	मरोड़ा	संरक्षित वन	P1258	2933.406	0.5	0.147
27			पश्चिम परालकोट	पिन्डकसा	संरक्षित वन	P1262	2186.617	0.5	0.109
28			पश्चिम परालकोट	पिन्डकसा	संरक्षित वन	P1266	1378.998	0.5	0.069
29			पश्चिम परालकोट	पिन्डकसा	संरक्षित वन	P1267	3574.078	0.5	0.178
30			पश्चिम परालकोट	पिन्डकसा	संरक्षित वन	P1268	823.021	0.5	0.041
31			पश्चिम परालकोट	पिन्डकसा	संरक्षित वन	P1269	3522.471	0.5	0.177
32			पश्चिम परालकोट	तिरलगढ़	संरक्षित वन	P1270	1835.24	0.5	0.092
33			पश्चिम परालकोट	पानावार	संरक्षित वन	P1252	1073.044	0.5	0.055
34			पश्चिम परालकोट	पानावार	संरक्षित वन	P1254	1830.419	0.5	0.091
35			पश्चिम परालकोट	नागलदण्ड	संरक्षित वन	P1256	2004.7	0.5	0.1
36			पश्चिम परालकोट	नागलदण्ड	संरक्षित वन	P1257	2568.401	0.5	0.128
37			पूर्व परालकोट	बेनुर	संरक्षित वन	P1237	2748.554	0.5	0.137
38			कापसी (अंतागढ़ प.मं.)	खण्डी	संरक्षित वन	FDC P1181	710.698	0.5	0.036
39			कापसी (अंतागढ़ प.मं.)	बडगांव	संरक्षित वन	FDC P1168	2607.584	0.5	0.13
40			कोयलीबेडा (अंतागढ़ प.मं.)	एनहूर	संरक्षित वन	FDC P1310	5047.251	0.5	0.253
41			कोयलीबेडा (अंतागढ़ प.मं.)	मन्हाकाल	संरक्षित वन	FDC P1311	200.906	0.5	0.01
42			कोयलीबेडा (अंतागढ़ प.मं.)	मन्हाकाल	संरक्षित वन	FDC P1312	1989.085	0.5	0.099
43			कोयलीबेडा (अंतागढ़ प.मं.)	कडमे	संरक्षित वन	FDC P1303	2511.678	0.5	0.125
44			कोयलीबेडा (अंतागढ़ प.मं.)	सिकसोड	संरक्षित वन	FDC P1319	4872.658	0.5	0.244

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
45			कोयलीबेडा (अंतागढ़ प.मं.)	सिकसोड	संरक्षित वन	FDC P1323	2935.64	0.5	0.147
46			कोयलीबेडा (अंतागढ़ प.मं.)	सिकसोड	संरक्षित वन	FDC P1324	3088.268	0.5	0.154
47			कोयलीबेडा (अंतागढ़ प.मं.)	जिरामतराई	संरक्षित वन	FDC P1289	1293.424	0.5	0.065
48			कोयलीबेडा (अंतागढ़ प.मं.)	जिरामतराई	संरक्षित वन	FDC P1290	2267.525	0.5	0.113
			संरक्षित वनभूमि का योग–				**90300.958**	**0.5**	**4.514**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	पखांजुर	अनुपनगर	राजस्व वन	10	47.108	0.5	0.002
2			पखांजुर	अनुपनगर	राजस्व वन	77	102.925	0.5	0.005
3			पखांजुर	बंदरगी	राजस्व वन	204	150.419	0.5	0.008
4			पखांजुर	बंदरगी	राजस्व वन	130	355.298	0.5	0.018
5			पखांजुर	भिंगीडार	राजस्व वन	338	210.981	0.5	0.011
6			पखांजुर	भिंगीडार	राजस्व वन	81	324.881	0.5	0.016
7			पखांजुर	भिंगीडार	राजस्व वन	253	107.498	0.5	0.005
8			पखांजुर	भिंगीडार	राजस्व वन	564	955.515	0.5	0.048
9			पखांजुर	बुधनदण्ड	राजस्व वन	168	338.923	0.5	0.017
10			पखांजुर	बुधनदण्ड	राजस्व वन	42	72.474	0.5	0.004
11			पखांजुर	बुधनदण्ड	राजस्व वन	43	185.829	0.5	0.009
12			पखांजुर	बुधनदण्ड	राजस्व वन	87	41.517	0.5	0.002
13			पखांजुर	बुधनदण्ड	राजस्व वन	89	64.452	0.5	0.003
14			पखांजुर	बुधनदण्ड	राजस्व वन	99	136.601	0.5	0.007
15			पखांजुर	बुधनदण्ड	राजस्व वन	100	68.006	0.5	0.003
16			पखांजुर	छोटेझाड़कटटा	राजस्व वन	67	60.739	0.5	0.003
17			पखांजुर	हांकेर	राजस्व वन	154	210.714	0.5	0.011
18			पखांजुर	हांकेर	राजस्व वन	162	212.250	0.5	0.011
19			पखांजुर	हांकेर	राजस्व वन	139	15.492	0.5	0.001
20			पखांजुर	इन्दरपुरी	राजस्व वन	356	307.174	0.5	0.015
21			पखांजुर	जिरामतराई	राजस्व वन	393	103.345	0.5	0.005
22			पखांजुर	जिरामतराई	राजस्व वन	415	98.016	0.5	0.005
23			पखांजुर	जिरामतराई	राजस्व वन	313	210.992	0.5	0.011
24			पखांजुर	कन्हारगांव	राजस्व वन	27	39.648	0.5	0.002
25			पखांजुर	कोतूल	राजस्व वन	245	294.435	0.5	0.015
26			पखांजुर	कोयलीबेडा	राजस्व वन	905	142.944	0.5	0.007
27			पखांजुर	कुरेनार	राजस्व वन	173/1	344.078	0.5	0.017
28			पखांजुर	मण्डागांव	राजस्व वन	54	28.087	0.5	0.001
29			पखांजुर	मरदा	राजस्व वन	56	13.93	0.5	0.001

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
30	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	पखांजुर	मरदा	राजस्व वन	154	141.415	0.5	0.007
31			पखांजुर	मरदा	राजस्व वन	199	179.502	0.5	0.009
32			पखांजुर	मरदा	राजस्व वन	203	423.907	0.5	0.021
33			पखांजुर	मासूर	राजस्व वन	7	553.756	0.5	0.028
34			पखांजुर	मासूर	राजस्व वन	25	97.993	0.5	0.005
35			पखांजुर	पालनदी	राजस्व वन	63	67.336	0.5	0.003
36			पखांजुर	पालनदी	राजस्व वन	64	232.462	0.5	0.012
37			पखांजुर	परतापुर	राजस्व वन	57	247.751	0.5	0.013
38			पखांजुर	परतापुर	राजस्व वन	122	307.577	0.5	0.015
39			पखांजुर	पिपली	राजस्व वन	89	28.442	0.5	0.001
40			पखांजुर	पिपली	राजस्व वन	88	74.12	0.5	0.004
41			पखांजुर	पिपली	राजस्व वन	2	282.000	0.5	0.014
42			पखांजुर	पिपली	राजस्व वन	10	87.847	0.5	0.004
43			पखांजुर	तुरसानी	राजस्व वन	292	28.575	0.5	0.001
44			पखांजुर	तुरसानी	राजस्व वन	293	62.958	0.5	0.003
45			पखांजुर	तुरसानी	राजस्व वन	286	84.458	0.5	0.004
46			पखांजुर	विकासपल्ली	राजस्व वन	541	441.504	0.5	0.022
राजस्व वनभूमि का **योग**–							**8585.874**	**0.5**	**0.429**
कुल योग–							**106466.590 (106.466 K.M.)**	**0.5**	**5.323**

उक्त 106.466 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 5.323 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 0.380 हे., संरक्षित वन भूमि 4.514 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.429 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा ।

3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।

क्रमशः 5

7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।

10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा ।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा ।

12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे ।

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

O/C

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.कमांक/एफ–5–16/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/05/2021

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल, छत्तीसगढ़।

5.आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

O/C